निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 चैत्र 1935 (श0)
(सं0 पटना 292) पटना, बुधवार, 10 अप्रील 2013

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना
16 जनवरी 2013

सं0 सं0का0–1/वि0मं0 (सदस्यों का वेतन एवं भत्ते)–05–02/2011(पार्ट)–74—बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) अधिनियम, 2006 (अधिनियम सं0–16, 2006) की धारा–8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) नियमावली, 2006 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2013

1. संक्षिप्त नाम और आरंभ। – (1) यह नियमावली बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2013 कही जा सकेगी।

(2) यह अधिसूचना के निर्गमन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. उक्त नियमावली, 2006 के नियम– 11 में संशोधन। – नियम 11 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :–

"11. सदस्यों को आवास की सुविधा। – (1) प्रत्येक सदस्य को, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित किये जाने की तिथि से, या उसके कार्यकाल प्रारम्भ होने की तिथि से, पटना में ऐसी रियायती दर एवं अन्य शर्तों के अधीन मकान किराये का भुगतान करने पर, आवास उपलब्ध किया जायेगा, जैसा कि राज्य सरकार का भवन निर्माण एवं आवास विभाग, यथास्थिति, बिहार विधान–सभा के

अध्यक्ष, बिहार विधान परिषद् के सभापति की सहमति से समय–समय पर, यथास्थिति, नियमों द्वारा अवधारित एवं विहित करे।

(2) – बिहार विधान मंडल के प्रत्येक सदस्य को आवास उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में रु0 22,250=00/- (बाईस हजार दो सौ पचास रूपये) प्रतिमाह की दर से मकान किराया–भत्ता एवं विद्युत, जल आपूर्ति, सैनेटरी तथा सफाई आदि सुविधाओं के लिए रु0 6000=00/- (छः हजार रूपये) प्रतिमाह अनुमान्य होगा। मकान किराया भत्ता के अतिरिक्त विद्युत, जल आपूर्ति, सैनेटरी एवं सफाई आदि सुविधाओं के लिए प्रतिमाह भुगतान की दशा में नियम 15 के अधीन विद्युत एवं जल विपत्र भुगतान हेतु कोई राशि देय नहीं होगी।"

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
नवनीत रंजन तिवारी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 292-571+1000-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in